RACE IAS

Daily current affairs

28 April 2022

प्रतापसिंह राणे को आजीवन 'कैबिनेट मंत्री' का दर्जा दिए जाने के खिलाफ जनहित याचिका

प्रसंग:

भाजपा सरकार ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रतापसिंह राणे को गोवा विधानसभा में विधायक के तौर पर 50 साल पूरे करने पर आजीवन "कैबिनेट मंत्री' का दर्जा प्रदान करके सम्मानित किया है।

'प्रतापसिंह राणे' गोवा के छह बार के मुख्यमंत्री और 50 वर्षों तक विधायक रह चुके हैं।

संबंधित प्रकरण:

उच्च न्यायालय में दायर एक मामले में यह कहा गया है, कि भाजपा सरकार का यह कदम 'संविधान के 91वें संशोधन' का उल्लंघन करता है।

- गोवा के कैबिनेट में सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 निर्धारित है। राणे को 'कैबिनेट मंत्री' का दर्जा दिए जाने से 'कैबिनेट सदस्यों' की संख्या बढ़कर 13 हो जाती है, जोकि संविधान द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है। एक सदनीय गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं।
- संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा इसके अनुच्छेद 164 में उपबंध 1A को जोड़ा गया था, जिसमे कहा गया है कि "किसी राज्य की मंत्रि-परिषद में, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। परन्तु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी।"

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस।

राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति संबंधी राज्यपाल की शक्तियाँ

संदर्भ:

तमिलनाडु में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हुए दो विधेयक पारित किए गए हैं।

विधेयक के प्रमुख बिंदु:

1. विधेयक में इस बात पर प्रमुख महत्व दिया गया है कि "कुलपति की हर नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक 'खोज-सह-चयन समिति' द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से की जाएगी।
2. पदमुक्ति: विधेयकों में राज्य सरकार को जरूरत पड़ने पर कुलपतियों को पद से हटाने पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव किया गया है।
3. प्रक्रिया: कुलपति की पदमुक्ति, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कम से कम एक मुख्य सचिव के रूप में सेवा कर चुके नौकरशाह द्वारा की गयी जांच-पड़ताल के आधार पर की जाएगी।

इन विधानों के अधिनियमन के पीछे कारण:

- मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अनुसार, राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर राज्य सरकार की राय की अवहेलना की जा रही है, अतः इन विधेयकों को पारित करना आवश्यक है।
- निर्वाचित सरकारों द्वारा बार-बार राज्यपालों पर शिक्षा सहित विभिन्न विषयों पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया जाता रहा है।

अन्य किन राज्यों ने इस प्रकार के कानून लागू हैं?

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल।

इसके अलावा, केरल और ओडिशा में भी राज्य के विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को अपने नियंत्रण में लाने संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं।

इस संबंध में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की भूमिका:

संविधान में 'शिक्षा' समवर्ती सूची के अंतर्गत एक विषय है, लेकिन संघ सूची की प्रविष्टि 66 में केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा के संबंध में काफी अधिकार प्रदान किए गए हैं।

RACE IAS

- इस विषय में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्तियों के मामले में भी मानक-निर्धारण की भूमिका निभाता है।
- यूजीसी विनियम, 2018 (UGC Regulations, 2018) के अनुसार, कुलपतियों की नियुक्ति "विजिटर / चांसलर" - ज्यादातर राज्यों में राज्यपाल - द्वारा 'खोज-सह-चयन समितियों' द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल में से की जाएगी।
- उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' से वितीय अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों के लिए इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां:

मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में 'शिरीष कुलकर्णी' की नियुक्ति को रद्द कर दिया था।

शीर्ष अदालत का निर्णय:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के प्रावधानों के विपरीत 'कुलपति' के रूप में किसी भी नियुक्ति को 'वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन' के रूप में माना जा सकता है, और इसके लिए 'अधिकार-पृच्छा' (Quo Warranto) रिट दायर की जा सकती है।
- UGC का प्रत्येक अधीनस्थ कानून, मूल यूजीसी अधिनियम, 1956 (UGC Act, 1956) से निकलता है। इसलिए, एक अधीनस्थ कानून होने के नाते, 'यूजीसी विनियम' मूल अधिनियम का हिस्सा बन जाते हैं।
- चूंकि, 'शिक्षा' संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है, अतः राज्य के क़ानून और केंद्रीय क़ानून के बीच किसी भी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति में, संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रतिपादित 'असंगति के नियम/सिद्धांत' को लागू करने पर 'केंद्रीय क़ानून' प्रभावी होगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस।

आईटी नियम, 2021

संदर्भ:

हाल ही में, सूचना और प्रसारण (I&B) मंत्रालय द्वारा 16 यूट्यूब समाचार चैनलों (YouTube news channels) को ब्लॉक कर दिया गया है, इनमें पाकिस्तान के छह यूट्यूब समाचार चैनल भी शामिल हैं।

RACE IAS

इससे पहले, मंत्रालय द्वारा विभिन्न आरोपों के आधार पर भारत के 18 यूटयूब समाचार चैनलों सहित 78 यूटयूब समाचार चैनलों को ब्लॉक किया जा चुका है।

कारण:

यूटयूब आधारित इन समाचार चैनलों को देश में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी और असत्यापित जानकारी फैलाने के आरोप में ब्लॉक किया गया है।

कानूनी आधार:

इन चैनलों पर "सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम", 2021 (The Information Technology (Intermediaries Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) अर्थात 'आईटी नियम, 2021' के नियम 18 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्रवाई की गई है।

आईटी नियमों का अवलोकन, 2021:

1. इन नियमों के तहत, देश भर में 'ओवर द टॉप' (OTT) और डिजिटल पोर्टलों द्वारा एक 'शिकायत निवारण प्रणाली' गठित करना अनिवार्य किया गया है। उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किए जाने के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु यह आवश्यक है।
2. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया कंपनियों के लिए 'एक मुख्य अनुपालन अधिकारी' (Chief Compliance Officer) की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा, इसके साथ ही ये कंपनियां एक नोडल संपर्क अधिकारी भी नियुक्त करेंगी, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियां कभी भी संपर्क कर सकेंगी।
3. शिकायत अधिकारी (Grievance Officer): सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त करेंगे, जो 24 घंटे के भीतर कोई भी संबंधित शिकायत दर्ज करेगा और 15 दिनों में इसका निपटारा करेगा।
4. सामग्री को हटाना (Removal of content): यदि किसी उपयोगकर्ता, विशेष रूप से महिलाओं की गरिमा के खिलाफ शिकायतें- व्यक्तियों के निजी अंगों या नग्नता या यौन कृत्य का प्रदर्शन अथवा किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण आदि के बारे में- दर्ज कराई जाती हैं, तो ऐसी सामग्री को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।
5. मासिक रिपोर्ट: इनके लिए, हर महीने प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या और इनके निवारण की स्थिति के बारे में मासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करनी होगी।
6. समाचार प्रकाशकों के लिए विनियमन के तीन स्तर होंगे - स्व-विनियमन, किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता में एक स्व-

RACE IAS

नियामक निकाय, और 'प्रक्रिया सहिंता एवं शिकायत समिति' सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निगरानी।

'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ' और इसके लाभ:

50 लाख से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को नए मानदंडों के अनुसार 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ' माना जाएगा।

अनुपालन न करने की स्थिति में:

- फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेंजर जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन नहीं करने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।
- यदि वे संशोधित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इनको "मध्यस्थ" के रूप में अपनी स्थिति खोने का जोखिम भी है और वे आपराधिक कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन

संदर्भ:

रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को और बढ़ावा देने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए 'रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया', 2020 (Defence Acquisition Procedure - DAP, 2020) को 'रक्षा अधिग्रहण परिषद' (Defence Acquisition Council) द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में संशोधित किया गया है:

1. रक्षा सेवाओं और भारतीय तटरक्षक बलों की सभी आधुनिकीकरण आवश्यकताओं की पूर्ति, आगे कदम बढ़ाते हुए, खरीद की प्रकृति से निरपेक्ष, स्वदेशी रूप से की जानी है।
2. 'पूंजी अधिग्रहण के विदेशी उद्योग' से रक्षा उपकरण/ सोर्सिंग का आयात, केवल एक अपवाद की स्थित में होना चाहिए और इसके लिए DAC या रक्षा मंत्री के विशिष्ट अनुमोदन के साथ किया जाना चाहिए।
3. भारतीय रक्षा उद्योग पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 'इंटेग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी' (IPBG) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इसके बजाय, 'स्वीकृति की आवश्यकता' (Acceptance of Necessity - AoN) की लागत, 100 करोड़ रुपये से अधिक के सभी अधिग्रहण मामलों के लिए 'बयाना राशि

जमा' (Earnest Money Deposit) को 'बोली सुरक्षा राशि' के रूप में लिया जाएगा।

DAP 2020 के बारे में:

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 (Defence Acquisition Procedure- DAP 2020) को इसी वर्ष सितंबर में जारी किया गया था।

1. 1 अक्टूबर से, नई नीति के द्वारा 'रक्षा खरीद प्रक्रिया'- 2016 को समाप्त कर दिया गया।
2. 'रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया' (DAP) में तटरक्षक बलों सहित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण हेतु 'रक्षा मंत्रालय' के पूंजी बजट से खरीद और अधिग्रहण संबंधी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल की गयी हैं।

नई नीति के प्रमुख बिंदु:

1. स्वदेशी फर्मों के लिए आरक्षण:

नीति में स्वदेशी फर्मों के लिए कई खरीद श्रेणियां आरक्षित की गयी हैं।

DAP 2020 में 'भारतीय विक्रेता' को ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास है और जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 49 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

2. नई खरीद (भारत में वैश्विक-विनिर्माण) श्रेणी:

इसमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित भारत में विनिर्मित करने के आशय से की गयी विदेशी खरीद के समग्र अनुबंध मूल्य के कम से कम 50 प्रतिशत भाग का स्वदेशीकरण किए जाना अनिवार्य किया गया है।

3. अधिकतम स्वदेशी सामग्री का उपयोग:

इसमें लाइसेंस के तहत भारत में निर्मित उपकरणों सहित हथियारों और सैन्य खरीद के उपकरणों में अथिकतम स्वदेशी सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। अधिकांश अधिग्रहण श्रेणियों में, रक्षा खरीद प्रक्रिया (DAP) 2016 की तुलना में DAP-2020 में 10 प्रतिशत अधिक स्वदेशीकरण के अनुबंध शामिल हैं।

4. आयात प्रतिषेध सूची (Import embargo list):

RACE IAS

विगत माह में सरकार द्वारा प्रवर्तित 101 वस्तुओं की 'आयात प्रतिषेध सूची' को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में भी विशेष रूप से शामिल किया गया है। (व्यापार प्रतिषेध एक सरकारी आदेश होता है, जिसमे किसी निर्दिष्ट देश से व्यापार अथवा विशिष्ट वस्तुओं के आदान-प्रदान को प्रतिबंधित किया जाता है।)

5. ऑफसेट देयता (Offset liability):

सरकारी निर्णय के अनुसार- यदि अंतर-सरकारी समझौते (IGA), सरकार-से-सरकार अथवा प्रारंभिक एकल विक्रेता के माध्यम से सौदा किया जाता है, तो सरकार रक्षा उपकरणों की खरीद में ऑफसेट क्लॉज का प्रावधान नहीं रखेगी।

ऑफसेट क्लॉज़ के प्रावधान के तहत विदेशी विक्रेता के लिए 'अनुबंध मूल्य' के एक भाग का निवेश भारत में करना आवश्यक होता है।

इंस्टा जिज्ञासु:

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फ़रवरी 2021 में, सशस्त्र बलों के उप-प्रमुख के पद से नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों को 'पूंजीगत खरीद' हेतु अधिक वित्तीय शक्तियाँ सौंपे जाने संबंधी मंजूरी दी गयी थी।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 की अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया के तहत:

1. सेना के कमांडरों, अन्य सेवाओं के समकक्ष क्षेत्रीय और भारतीय तटरक्षक कमांडरों को 100 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं।
2. डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (CD &S), मास्टर जनरल सस्टेनेंस (MGS), चीफ ऑफ मैटेरियल (COM), एयर ऑफिसर मेंटेनेंस (AOM), डिप्टी चीफ ऑफ़ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (DCIDS), अतिरिक्त महानिदेशक तटरक्षक बल, के लिए 200 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं।

स्रोत: द हिंदू।

हरियाणा में चारे के परिवहन पर प्रतिबंध

संदर्भ:

हाल ही में, हरियाणा सरकार ने गेहूं के भूसे (wheat fodder) / चारे के अंतर-जिला और अंतर-राज्यीय परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

सरकार के इस कदम के पीछे दिए गए तर्क:

- भूसे / चारे को जिले से बाहर भेजे जाने पर, संबधित जिले में पशुओं के चारे की कमी हो सकती है।
- भविष्य में, बारिश कम होने पर 'भूसे / चारे' की स्थिति और खराब होने की संभावना है।
- दक्षिणी हरियाणा में, किसानों द्वारा गेहूं के स्थान पर सरसों की फसल को अधिक महत्व दिया जा रहा है।
- इस वर्ष तापमान में असाधारण वृद्धि, और समय से पहले गर्मी शुरु होने के कारण गेहूं का उत्पादन सामान्य से कम हुआ है।
- रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच भू-राजनीतिक तनाव के कारण ऐसी धारणा बन रही है कि निकट भविष्य में गेहूं की कीमतें बढ़ेंगी।

ऐसे माहौल में, राज्य के अधिकारी अन्य राज्यों के लिए चारा भेजने की अनुमति देने से पहले, स्थानीय जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं।

आलोचनाएं:

- सरकार के इस फैसले की किसान संगठनों और विपक्ष द्वारा तीखी आलोचना की जा रही है।
- किसान संगठनों का कहना है, कि राज्य के अधिकारी, इस साल गेहूं के कम उत्पादन की मार झेल रहे किसानों को अपने चारे को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस।

स्व-प्रतिकृति मैसेंजर आरएनए कोविड -19 वैक्सीन

संदर्भ:

कैलिफ़ोर्निया स्थित एक दवा कंपनी ने कोविड -19 संक्रमण के खिलाफ 'ARCT-154' नामक एक 'स्व-प्रवर्धक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन' (self-amplifying mRNA vaccine) विकसित की है।

इसके लाभ:

'ARCT-154' वैक्सीन, 'गंभीर कोविड -19' (severe Covid-19) के खिलाफ 95% और कोविड संक्रमण (Covid infection) के खिलाफ 55% सुरक्षा का दावा करती है।

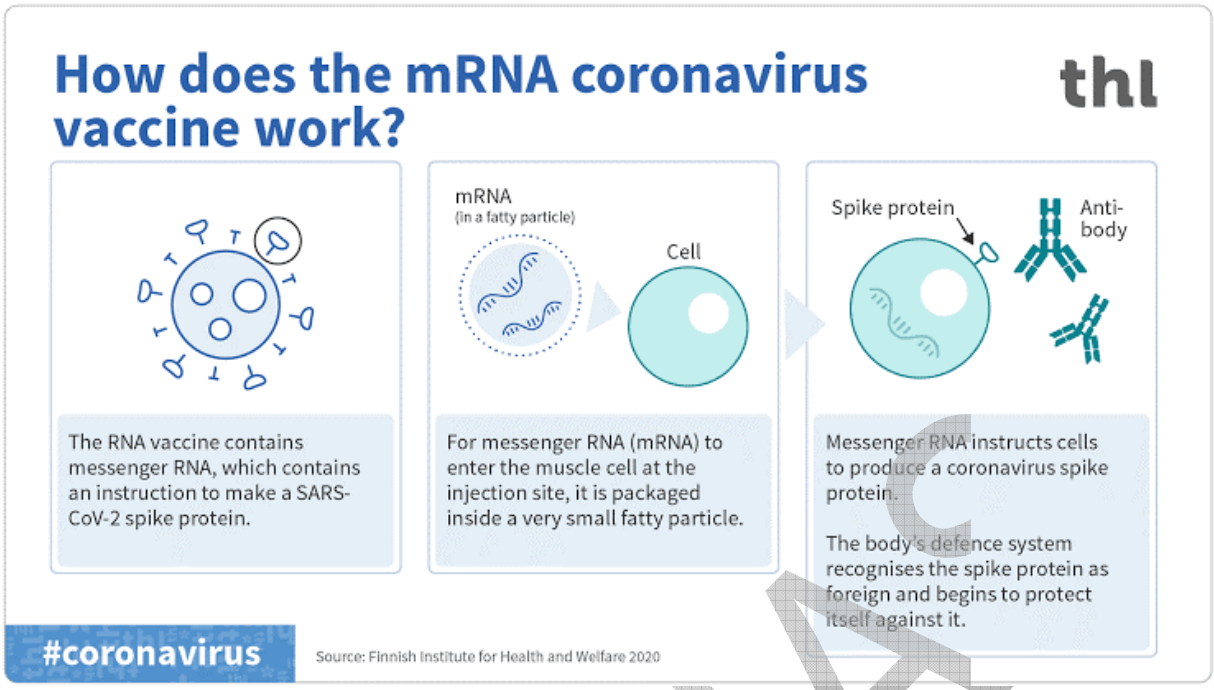

'mRNA वैक्सीन' के बारे में:

- mRNA वैक्सीन द्वारा रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरल प्रोटीन का स्वतः उत्पादन करने के लिए भ्रमित किया जाता है।
- इसके लिए मैसेंजर RNA अथवा mRNA का उपयोग किया जाता है। मैसेंजर आरएनए, कोरोनावायरस के स्पाइक प्रोटीन को सांकेतिक शब्दों में बदलता (Encode) करता है।
- mRNA, कोशिका को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां तैयार करने के लिए निर्देशित करता है, ताकि 'प्रतिरक्षा प्रणाली' वास्तविक संक्रमण होने पर स्पाइक प्रोटीन को पहचान सके, और प्रतिक्रिया शुरू कर सके।

mRNA वैक्सीन के उदाहरण: फाइजर/बायोएनटेक (Pfizer/BioNTech) और मॉडर्ना (Moderna)।

स्व-प्रवर्धक मैसेंजर आरएनए टीकों के बारे में:

स्व-प्रवर्धक एमआरएनए वैक्सीन (self-amplifying mRNA vaccine) पारंपरिक आरएनए प्लेटफॉर्म पर विकसित की जाने वाली वैक्सीनों का एक उन्नत संस्करण है। यह वैक्सीन, एंटीजन के अलावा चार अतिरिक्त प्रोटीनों का कूटलेखन / एन्कोड (Encode) करती है, और ये कोशिका के अंदर एक बार प्रविष्ट किए जाने के बाद 'आरएनए' के मूल तंतु (original strand) का प्रवर्धन करती है। इसका मुख्य लाभ यह है कि इस प्रक्रिया के लिए एक छोटी खुराक की आवश्यकता होती है।

स्रोत: द हिंदू।

RACE IAS

कार्बन के मूल्य निर्धारण से जलवायु परिवर्तन के समाधान की संभावना

संदर्भ:

अमेरिका का 'पेंसिल्वेनिया' राज्य, 'जलवायु परिवर्तन' का समाधान करने के लिए 'कार्बन मूल्य निर्धारण नीति' (Carbon Pricing Policy) अपनाने वाला अमेरिका का पहला 'प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक राज्य' बन गया है।

इसके साथ ही, 'पेंसिल्वेनिया'उन 11 राज्यों में शामिल हो गया है जहां कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस बिजली संयंत्रों को उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रत्येक टन के उत्सर्जन पर 'क्रेडिट' खरीदना अनिवार्य होता है।

'कार्बन मूल्य निर्धारण' दृष्टिकोण:

कार्बन मूल्य निर्धारण (Carbon Pricing) एक ऐसा उपकरण है, जिसके द्वारा 'ग्रीनहाउस गैस' (GHG) उत्सर्जन की बाहरी लागतों की गणना करके, इनके उत्सर्जन स्रोत के साथ प्रायः उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की कीमत के रूप जोड़ दिया जाता है।

- इन 'ग्रीनहाउस गैस' उत्सर्जन में, उत्सर्जन की वह कीमत शामिल होती है जिसे जनता द्वारा फसलों को नुकसान, ग्रीष्म लहरों और सूखे की वजह से स्वास्थ्य देखभाल पर हुए व्यय, और बाढ़ और समुद्र के स्तर में वृद्धि से संपत्ति का नुकसान आदि के लिए चुकाना पड़ता है।
- कार्बन का मूल्य निर्धारण, GHG उत्सर्जन से होने वाले नुकसान के बोझ को वापस उन लोगों पर स्थानांतरित करने में मदद करता है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो इससे प्रायः बच जाते हैं।

'कार्बन मूल्य निर्धारण' के दो मुख्य प्रकार हैं:

1. उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (Emission Trading System): यह एक ऐसी प्रणाली है जहां उत्सर्जक अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 'उत्सर्जन इकाइयों' का व्यापार कर सकते हैं।
2. कार्बन टैक्स: यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर- या सामान्यतः - जीवाश्म ईंधन में मौजूद कार्बन अंश पर 'कर' की दर को परिभाषित करके कार्बन का मूल्य निर्धारण करता है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों द्वारा अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोण:

RACE IAS

- कार्बन की सामाजिक लागत: संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक 'अल्प प्रत्यक्ष दृष्टिकोण' (less direct approach) अपनाया है जिसे 'कार्बन की सामाजिक लागत' (Social Cost of Carbon) के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टिकोण में, प्रदूषणकारी उद्योगों पर कड़े प्रतिबंधों को सही ठहराने के लिए 'भविष्य में होने वाली जलवायु-क्षति की गणना की जाती है।
- कार्बन मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण: दूसरी ओर, कनाडा जैसे देशों ने 'कार्बन मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण' (Carbon Pricing approach) अपनाया है। उदाहरण के लिए, कनाडा में व्यक्तियों पर 'ईंधन शुल्क' लगाया जाता है और बड़े प्रदूषकों को उत्सर्जन के लिए भुगतान भी करन पड़ता है। यह किसी न किसी रूप में कार्बन टैक्स लागू करने वाले 27 देशों में से एक है।

दोनों उपागमो/दृष्टिकोणों में भिन्नता:

- 'कार्बन की सामाजिक लागत' उपागम, भविष्य में सदियों से हो रहे सभी जलवायु क्षति के मूल्य की भरपाई करने का प्रयास करती है।
- 'कार्बन मूल्य निर्धारण' उपागम यह दर्शाता है, कि नीलामी में पेश किए जाने वाले 'उत्सर्जन क्रेडिट' की सीमित मात्रा के लिए कंपनियां आज कितना भुगतान करने को तैयार हैं।

दूसरे शब्दों में, कार्बन की सामाजिक लागत 'नीति' को निर्देशित करती है, जबकि कार्बन मूल्य निर्धारण 'व्यवहार में नीति का प्रतिनिधित्व' करता है।

कार्बन मूल्य निर्धारण का महत्व:

- कार्बन का मूल्य निर्धारण करने से, कारोबार करने की लागत में जलवायु जोखिमों को शामिल करने में मदद मिलती है।
- इसके लागू होने पर, कार्बन का उत्सर्जन अधिक महंगा हो जाता है, और उपभोक्ता और उत्पादक कम उत्सर्जन करने वाली तकनीकों और उत्पादों का उपयोग करने के तरीकों की तलाश करते हैं।
- ऐसी स्थिति में, बाजार, उत्सर्जन में कटौती करने, स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में बदलाव को बढ़ावा देने और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक कुशल साधन के रूप में कार्य करता है।
- लागत प्रभावी ढंग से उत्सर्जन को कम करने हेतु, पूरक नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता नीतियां भी काफी महत्वपूर्ण होती हैं।

कार्बन मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दे:

RACE IAS

- वर्तमान में, 46 देशों में कार्बन मूल्य निर्धारण किया जाता है, जिसमे मानव द्वारा हर साल उत्पादित कार्बन प्रदूषण का लगभग 22 प्रतिशत कवर किया जाता है। लेकिन इन नीतियों में काफी खामियां मौजूद हैं।
- जीवाश्म ईंधन कंपनियों, विद्युत उपयोगिताओं, वाहन निर्माताओं, पेट्रोकेमिकल कंपनियों और अन्य भारी उद्योगों जैसे बड़े कार्बन प्रदूषकों द्वारा नीतिगत छूट प्राप्त करने के लिए अपनी संरचनात्मक शक्ति का उपयोग किया जाता है।
- विश्व बैंक के अनुसार, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देशों को प्रति टन उत्सर्जन पर $40 से $80 के बीच 'शुल्क' वसूलने वाली नीतियों की आवश्यकता है। फिर भी, विश्व में कार्बन की कीमत, इसकी आधी अर्थात 10 डॉलर प्रति टन से भी कम है।
- कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार,- 'कार्बन मूल्य निर्धारण' नवाचारों को सीमित करता है। लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कार्बन मूल्य निर्धारण ने नई, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में हमें जिस नवाचार की आवश्यकता है, उसे किसी तरह से प्रभावित किया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस।

कुरील द्वीप समूह

हाल ही में जारी, जापान की 'डिप्लोमैटिक ब्लूबुक' 2022 (Diplomatic Bluebook, 2022) में 'कुरील द्वीप समूह' (Kuril Islands) को रूस के "अवैध कब्जे" वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है। 'कुरील द्वीप समूह' को जापान अपना 'उत्तरी क्षेत्र' बताता है और रूस द्वारा इसे 'साउथ कुरील' कहा जाता है।

लगभग दो दशकों में, पहली बार जापान ने 'कुरील द्वीप समूह' पर विवाद का वर्णन करने के लिए इस 'वाक्यांश' अर्थात "अवैध कब्जे वाले क्षेत्र' का उपयोग किया है।

कुरील द्वीप/उत्तरी क्षेत्र:

- कुरील द्वीप, चार द्वीपों का एक समूह है, जो जापान के सबसे उत्तरी प्रांत 'होक्काइडो' के उत्तर में ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।
- मास्को और टोक्यो, दोनों इस क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हैं, हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से इन द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है।

इन अलग-अलग दावों का आधार:

- टोक्यो के अनुसार, द्वीपों पर जापान की संप्रभुता की पुष्टि, 1855 की 'शिमोडा संधि' (Shimoda Treaty of 1855), सखालिन द्वीप के निर्विरोध नियंत्रण के बदले कुरील द्वीप समूह पर जापान के अधिकार के लिए 1875 की संधि (सेंट पीटर्सबर्ग की संधि) और 1904-05 का रूस-जापानी युद्ध-जिसमे जापान विजयी हुआ था- के पश्चात '1905 की पोर्ट्समाउथ संधि' जैसी कई संधियों से होती है।
- दूसरी ओर, रूस द्वारा 'याल्टा समझौते' (1945) और पॉट्सडैम घोषणा (1945) को अपनी संप्रभुता के प्रमाण के रूप में दावा किया जाता है, इसके अलावा रूस तर्क देता है कि 1951 की सैन फ्रांसिस्को संधि इस बात का कानूनी सबूत है कि जापान ने इन द्वीपों पर रूसी संप्रभुता को स्वीकार किया था।

RACE IAS

The Kuril Islands kerfuffle betwee

Post Russia's invasion of Ukraine, Jap
claim over the Kuril Islands which is c
control of Russia. On April 22, Japan's Dip
2022 described the Kuril Islands a
Russia's "illegal occupat

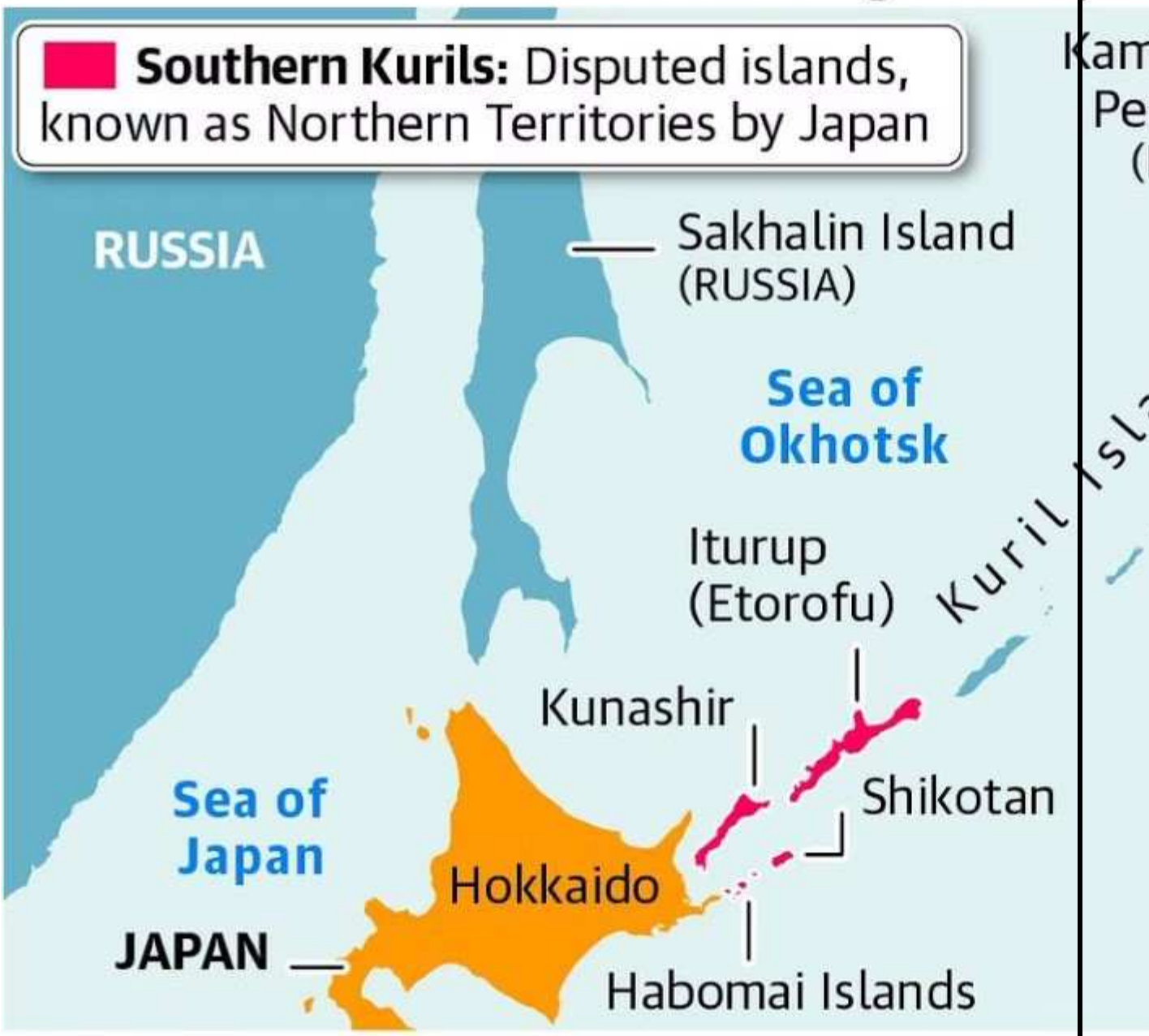

HISTORY OF THE KURIL DISPUTE

1855: The **Treaty of Shimoda** gives southern Kurils to Japan and rest of the island chain to Russia. Sakhalin

RACE IAS